प्रेस नोट दिनांक 17.09.2023

(1). आज दिनांक 17.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 17.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 55 क्वार्टर देशी शराब व 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की ।

(i). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा आरक्षी रवीन्द्र कुमार व आरक्षी आशीष कुमार द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र जौहरी रैदास निवासी मैनहाई माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 35 पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित यादव व आरक्षी चन्द्रभूषण राय द्वारा अभियुक्त सुनील कोल पुत्र दद्दू कोल निवासी रम्पुरिया सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(iii) प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री अंजनी कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव तथा उनके हमराही आरक्षी मनीष यादव व का0 राहुल यादव द्वारा अभियुक्त कृष्णकुमार साहू उर्फ लाल पुत्र बृजबिहारी निवासी रीमारी थाना पनवार जनपद रीवा म0प्र0 को 20 क्वार्टर मस्तीहू शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान रम्म पुरवा पुलिया के पास से अभियुक्त विष्णु गर्ग पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी ग्राम तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 225 अदद (05 पेटी) क्वार्टर देशी शराब के

साथ गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना भरतकूप में 60 आबकारी अधिनियम विरूद्ध अभियुक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. 225 क्वार्टर (05 पेटी)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप
2. आरक्षी लवलेश यादव
3. आरक्षी सतीश यादव
4. आरक्षी विकास
5. आरक्षी अंकित राजपूत

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अशोक सिंह एवं उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं 253/2007 धारा 325/323 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त लालमन पुत्र लालता कोल निवासी गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

1.एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर

2.एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अशोक सिंह थाना मानिकपुर

2. आरक्षी शाकीर अली

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा मु0नं0 246/22 मु0अ0सं0 81/2021 धारा 376डी,342,504,506 आईपीसी व 04 पाक्सो एक्ट के वारंटी अभियुक्त रिंकू पुत्र विजय निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना रैपुरा